बिना कारण रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा न करने का हुक्म

﴿ حكم ترك قضاء صيام رمضان بلا عذر ﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ حكم ترك قضاء صيام رمضان بلا عذر ﴾

« باللغة الهندية »

سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

बिना कारण रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा न करने का हुक्म

प्रश्नः

उस व्यक्ति का क्या हुक्म है जिस ने रमज़ान के रोज़े की कज़ा को छोड़ दिया, जबकि उस के पास कोई उज़्र (बहाना और कारण) नहीं है, क्या उस के लिए क़ज़ा करने के साथ केवल तौबा कर लेना काफी है, या उस पर कफ्फारा अनिवार्य है ?

उत्तरः

उस के ऊपर अल्लाह सुब्हानहु व तआला से तौबा करना और रोज़े की क़ज़ा करने के साथ साथ, हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाना भी अनिवार्य है। और खाने की मात्रा शहर के गल्लों जैसे खजूर, या गेहूँ , या चावल आदि में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साअ़ के अनुसार आधा साअ़ है। और आधे साअ की मात्रा किलो ग्राम के हिसाब से लगभग ढेढ़ किलों ग्राम (1.5 kg) होता है। उस के ऊपर इस के सिवाय कोई और चीज अनिवार्य नहीं है। जैसाकि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के एक समूह ने इसका फत्वा दिया है – उन्हीं में से इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी हैं –। किन्तु यदि वह किसी बीमारी या यात्रा पर होने के कारण माजूर था, या औरत गर्भ अथवा अपने बच्चे को दूध पिलाने के कारण माजूर थी, उन दोनों के कारणवश उस के लिए रोज़ा रखना कठिन था, तो ऐसे लोगों पर केवल कज़ा करना अनिवार्य है।

(आदरणीय शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमहुल्लाह की किताब ''तोहफतुल इख्वान'' पृ. 231)।